FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE AND **P.S.(थाना):** SIRMAUR(NAHAN) **Year(वर्ष):** 2024
   FIR No(प्र.सू.रि.सं.): 0001 **Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय):** 27/01/2024 03:34 PM

2.

S.No.(क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	IPC 1860	420
2	IPC 1860	467
3	IPC 1860	468
4	IPC 1860	471
5	IPC 1860	120-B
6	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	5
7	HP PREVENTION OF SPECIFIC CORRUPT PRACTICES ACT, 1983	6

3. **(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** **Date From(दिनांक से):** **Date To(दिनांक तक):**
      Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

   (b) Information received at P.S.(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): **Date(दिनांक):** 27/01/2024 **Time (समय):** 02:26 PM
   (c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): **Entry No.(प्रविष्टि सं.):** 008 **Time (समय):** 27/01/2024 02:26 PM

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. **(a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 105 Km(s) **Beat No(बीट सं.) :**
      (b) Address(पता): GP ASHAYARI , SHILLAI
      (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S(थाना का नाम): SHILLAI **District(State)(ज़िला(राज्य)):** SIRMAUR(HIMACHAL PRADESH)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) Name(नाम): PSI YOGESH KUMAR
   (b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि /वर्ष): 20/07/1994 **(d) Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) UID No (यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

   (i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	VILLAGE-Distt Police Kangra , TEHSIL-Kangra, PS-KANGRA, DISTRICT-KANGRA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA
2	**Permanent Address**	VILLAGE-Hiyadi PO Thanei Kothi, TEHSIL-Churah, PS:TISSA, DISTRICT-CHAMBA, STATE-HIMACHAL PRADESH, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): **Mobile (मोबाइल**

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Relative's Name(रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)	Parmanent Address (स्थाई पता)
1	Anil Chauhan		VILLAGE-Pardhan GP Ashayari,TEHSIL-Shillai,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-Pardhan GP Ashayari,TEHSIL-Shillai,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
2	Sandeep Verma		VILLAGE-JE BDO Office Shillai,TEHSIL-Shillai,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-JE BDO Office Shillai,TEHSIL-Shillai,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
3	Vijay Chauhan	Father:Sh. Dhanveer Singh	VILLAGE-GP Ashayari,TEHSIL-Shillai,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-GP Ashayari,TEHSIL-Shillai,PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR,STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA
4	Ramesh Chand	Father:Sh. Raghuveer Singh	VILLAGE-GP Ashayari,TEHSIL-Shillai , PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA	VILLAGE-GP Ashayari,TEHSIL-Shillai , PS-SHILLAI,DISTRICT-SIRMAUR, STATE-HIMACHAL PRADESH,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ती के प्रकार)	Nature Property (प्रकृति संपत्ति)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण न॰, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

शिकायत पत्र सं॰ SV&ACB(R/SR) Compl.(NHN)18/SR/2023 दिनांक 23.03.23 की प्रारम्भिक जांच SI हरी दास, जांच अधिकारी, थाना SV&ACB नाहन व अंतिम जांच निष्कर्ष रिपोर्ट P/SI योगेश कुमार द्वारा तैयार की गयी है। शिकायत पत्र की जांच रिपोर्ट सम्बन्धित रिकॉर्ड सहित विजिलैंस मुख्यालय से अभियोग पंजीकृत करने के अनुमोदन सहित कार्यालय पुलिस अधीक्षक SV&ACB, SR, शिमला से मुताबिक पत्र पृष्ठांकन सं0 664 दिनांक 19.01.24 थाना में प्राप्त हुई है। जांच रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है कि उपरोक्त शिकायत पत्र कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, दक्षिणी खण्ड शिमला से पत्र संख्या 2292 दिनांक 23.03.2023 के अनुसार जांच हेतु पुलिस थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो नाहन में प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ताओं श्री बलबीर सिंह निवासी गांव दबोड ग्राम पंचायत अश्याडी तहसील शिलाई जिला सिरमौर व अन्य का एक और शिकायत पत्र उपरोक्त शिकायत पत्र के साथ संलग्न करने के आदेशों सहित दिनांक 29.06.2023 को कार्यालय पुलिस अधीक्षक महोदय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, दक्षिणी खण्ड, शिमला से पत्र संख्या 4760 दिनांक 24.06.2023 के अनुसार पुलिस थाना में प्राप्त हुआ था। शिकायतकर्ताओं द्वारा अपने शिकायत-पत्रों में ग्राम पंचायत अश्याडी द्वारा वर्ष फरवरी 2021 से मार्च 2023 तक निम्नलिखित विकास कार्यो के सम्बन्ध में आरोप लगाये है कि श्री अनिल चौहान प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी द्वारा (1)निर्माण कार्य शमशानघाट नेडा पुल, (2) निर्माण कार्य नेड़ा खड्ड से क्यार सिंचाई कुहल, (3) भू सरंक्षण निर्माण कार्य स्वीटन, (4) निर्माण कार्य एम्बुलेंस सड़क टिम्बी से नलेडी, (5) भू-सरंक्षण निर्माण कार्य उपरला दुबोड, (6) निर्माण कार्य सामूहिक सुरक्षा दिवार उपरला दुबोड़, (7) 14 वें वितायोंग के अन्तर्गत करवाये गये विकास कार्य व दूसरे शिकायतपत्र में खेल मैदान अश्याडी, चार दिवारी GSSS टिम्बी, पक्का रास्ता मेन रोड से भांगी, पक्का रोड उपरला दबोड, Wire Crate खनोडा,चिम्नी से नलेडी रोड, Wire Crate कियारखाला व गल्ली प्लग सियारी में अनियमिततायें कर के सरकारी कोष को हानि पहुंचाई है तथा उक्त कार्यों में मस्ट्रोलों में भी लोगों की दो-दो जगह एक साथ हाजरियां लगाने के आरोप हैं। शिकायत पत्र की जांच के दौरान शिकायतकर्ताओं श्री बलबीर सिंह, बहादुर सिंह, रघुबीर सिंह, टीका राम, भरत सिंह व धर्म सिंह को शामिल जांच करके उनका विस्तृत संयुक्त ब्यान कलमवन्द किया गया।

शिकायत पत्र में उल्लिखित ग्राम पंचायत अश्याडी के विकास कार्यों का रिकॉर्ड कार्यालय ग्राम पंचायत अश्याड़ी से प्राप्त किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन पर पाया गया कि निर्माण कार्य भू सरंक्षण कार्य उपरला दुबोड़ के लिये ग्राम पंचायत अश्याडी में कोई भी धनराशि स्वीकृत न हुई है। जांच के दौरान ग्राम पंचायत अश्याडी के विवादास्पद कार्यों का मूल्यांकन/ निरीक्षण करवाने हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग वृत नाहन के माध्यम से तकनीकी टीम का गठन किया गया। दिनांक 29.05.2023, 8.06.2023 व 21.06.2023 को ग्राम पंचायत अश्याड़ी ब्लॉक शिलाई के विवादित विकासात्मक कार्यों का निरीक्षण/समीक्षा तकनीकी टीम द्वारा शिकायतकर्ताओं की निशानदेही पर वर मौका अम्ल में लाई गई तथा दिनांक 29.05.23 को निर्माण कार्य शमशानघाट नेडा पुल, निर्माण कार्य नेड़ा खड्डु से क्यार सिंचाई कुहल व निर्माण कार्य भू सरंक्षण कार्य (Sweeton) के निर्माण सामग्री के नमूना को कब्जा में लिया गया तथा दिनांक 21.06.2023 को घराट से क्यार तक निर्मित कूहल के RD No. 0/133 व RD No. 0/103 के PPC कंक्रीट सैम्पल तथा मुकाम टिम्बी खड्डु के नजदीक निर्माणाधीन शमशानघाट के RD No. 0/09 से 2 PPC कंक्रीट सैम्पल लिए गए। मौका के फोटोग्राफ भी लिए गए। शिकायत पत्र की जांच के दौरान मौका से एकत्रित किये गये उपरोक्त निर्माण सामग्री के नमूनाजातों को पत्र संख्या 1216 दिनांक 12.06.2023 व RC No. 08/23 दिनांक 13.06.2023 और पत्र संख्या 1316 दिनांक 24.06.2023 व RC No 09/23 दिनांक 26.06.2023 के माध्यम से परीक्षण के लिये SFSL जुन्गा जिला शिमला भेजा गया। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम द्वारा किये गये विवादास्पद कार्यों के मूल्यांकन सम्बन्धी रिपोर्ट मुताबिक पत्र संख्या PWD/PSD-II/Vigilance Inquiry/2023-24-974-75 Dated 07-08-2023, कार्यालय सहायक अभियंता हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग उप मण्डल नं0 2 पांवटा साहिब से प्राप्त हुई है। जांच के दौरान दिनांक 29.05.2023 को एकत्रित किये गये निर्माण सामग्री के नमूनाजातों का नतीजा मुताबिक रिपोर्ट 2595/ SFSL Physics (171)/23 दिनांक 15.12.2023 SFSL जुन्गा से थाना में प्राप्त हुआ है। जांच के दौरान 21.06.2023 को एकत्रित किये गये निर्माण साम्रगी के नमूनाजातों का नतीजा अभी प्राप्त न हुआ है। आरोपों के संबंध में जांच का विवरण इस प्रकार से कि- (1) निर्माण कार्य मोक्ष धाम टिम्बी के लिए वित वर्ष 2022-23 के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत 22,94,902/- रुपये स्वीकृत हुए थे। ग्राम पंचायत अश्याडी के रिकॉर्ड के अनुसार उक्त कार्य निर्माणाधीन है तथा वर्तमान तक उक्त कार्य पर 19,81,519.8/ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकन के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई अनुमानित राशि 6,89,513/- रुपये आंकलित की गई है। मौका पर कोई भी निर्माण सामग्री रखी न पाई गई है। उक्त कार्य श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी के कार्यकाल के दौरान श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास शिलाई के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन हुआ तथा उक्त कार्य की प्रगति के बारे में मूल्यांकन पुस्तिका पर इन्द्राज भी श्री संदीप वर्मा द्वारा ही किया गया है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा रिकार्ड में निर्माण सामग्री का अनुपात 1:5:10 प्रयुक्त होना दर्शाया है। जांच के दौरान उक्त कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के 03 नमूना भिन्न-2 स्थानों से एकत्रित किये गये थे जिनमें से 01 नमूना जात का नतीजा SFSL जुन्गा से प्राप्त हो चुका है तथा विशेषज्ञ ने अपनी राय में उक्त नमूना में प्रयुक्त निर्माण सामग्री का अनुपात 1:5.4:9.8 पाया गया है जो कि पंचायत रिकार्ड में उल्लिखित अनुपात से भिन्न है। पंचायत रिकार्ड में उक्त कार्य पर खर्च राशि व तकनीकी टीम द्वारा मौका पर पाये गये निर्माण पर खर्च की गई कुल अनुमानित राशि में 12,92,006.8/- रुपये की भिन्नता है। इस प्रकार श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी ने श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास शिलाई के साथ मिलीभगत करके 12,92,006.8/- रुपये की राशि का गवन किया है। (2) निर्माण कार्य कूहल नेड़ा खड़ड से क्यार के लिए वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत 18,77,436/- रुपये मनरेगा स्कीम के अन्तर्गत स्वीकृत हुए थे। ग्राम पंचायत अश्याडी के रिकॉर्ड के अनुसार उक्त निर्माणाधीन है तथा वर्तमान तक उक्त कार्य पर 12,89,001/- रुपये खर्च किये जा चुके हैं। जबकि तकनीकी टीम द्वारा मूल्यांकन के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई अनुमानित राशि 6,73,301/- रुपये आंकलित की गई है। मौका पर कोई भी निर्माण सामग्री रखी न पाई गई है। उक्त कार्य श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी के कार्यकाल के दौरान श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास शिलाई के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन हुआ तथा उक्त कार्य की प्रगति के बारे में मूल्यांकन पुस्तिका पर इन्द्राज भी श्री संदीप वर्मा द्वारा ही किया गया है। जांच के दौरान उक्त कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के 03 नमूना भिन्न-2 स्थानों से एकत्रित किये गये थे जिनका नतीजा अभी SFSL जुन्गा से प्राप्त न हुआ है। पंचायत रिकार्ड में उक्त कार्य पर खर्च राशि व तकनीकी टीम द्वारा मौका पर पाये गये निर्माण पर खर्च की गई कुल अनुमानित राशि में 6,15,700/- रुपये की भिन्नता है। इस प्रकार श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी ने श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास शिलाई के साथ मिलीभगत करके 6,15,700/- रुपये की राशि का गबन किया है। (3) निर्माण कार्य भू-संरक्षण कार्य चिखड़ स्वीटन के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत 19,46,933/- रुपये स्वीकृत हुए थे। ग्राम पंचायत अश्याडी के रिकॉर्ड के अनुसार उक्त निर्माणाधीन है तथा वर्तमान तक उक्त कार्य पर 11,75,534/- रुपये खर्च किये जा चुके हैं। तकनीकी टीम द्वारा मुल्यांकन के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई अनुमानित राशि 4,75,299/- रुपये आंकलित की गई है । मौका पर कोई भी निर्माण

सामग्री रखी न पाई गई है। उक्त कार्य श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याड़ी के कार्यकाल के दौरान श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास शिलाई के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन हुआ तथा उक्त कार्य की प्रगति के बारे में मुल्यांकन पुस्तिका पर इन्द्राज भी श्री संदीप वर्मा द्वारा ही किया गया है। उक्त कार्य के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा रिकार्ड में निर्माण सामग्री का अनुपात 1:5:10 प्रयुक्त होना दर्शाया है। जांच के दौरान उक्त कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के 02 नमूना भिन्न-2 स्थानों से एकत्रित किये गये थे जिनका नतीजा SFSL जुन्गा से प्राप्त हो चुका है तथा विशेषज्ञ ने अपनी राय में उक्त दोनों नमूनाजातों में प्रयुक्त निर्माण सामग्री का अनुपात 1:6.8:9.0 व 1:5.4:9.7 पाया गया है जो कि पंचायत रिकार्ड में उल्लिखित अनुपात से भिन्न है। पंचायत रिकार्ड में उक्त कार्य पर खर्च राशि व तकनीकी टीम द्वारा मौका पर पाये गये निर्माण पर खर्च की गई कुल अनुमानित राशि में 7,00,235/- रुपये की भिन्नता है। इस प्रकार श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी ने श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास शिलाई के साथ मिलीभगत करके 7,00,235/- रुपये की राशि का गबन किया है। (4) निर्माण कार्य एम्बुलेंस रोड टिम्बी से नलेंडी के लिए वित वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत 23,73,091/- रुपये स्वीकृत हुए थे। ग्राम पंचायत अश्याडी के रिकार्ड के अनुसार उक्त निर्माणाधीन है तथा वर्तमान तक उक्त कार्य पर 22,50,314.46/ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। तकनीकी टीम द्वारा मुल्यांकन के दौरान उक्त कार्य पर खर्च की गई अनुमानित राशि 11,64,819/- रुपये आंकलित की गई है। मौका पर कोई भी निर्माण सामग्री रखी न पाई गई है। उक्त कार्य श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी के कार्यकाल के दौरान श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास शिलाई के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन हुआ तथा उक्त कार्य की प्रगति के बारे में मुल्यांकन पुस्तिका पर इन्द्राज भी श्री संदीप वर्मा द्वारा ही किया गया है। पंचायत रिकार्ड में उक्त कार्य पर खर्च राशि व तकनीकी टीम द्वारा मौका पर पाये गये निर्माण पर खर्च की गई कुल अनुमानित राशि में 10,85,495.46/- रुपये की भिन्नता है। इस प्रकार श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी ने श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास शिलाई के साथ मिलीभगत करके 10,85,495.46/- रुपये की राशि का गवन किया है। (5) जांच के दौरान निर्माण कार्य भू सरंक्षण कार्य उपरला दुबोड में अनियमितताओं का आरोप साबित न हुआ है । (6) भू-संरक्षणनिर्माण कार्य आम रास्ता उपरला दुबोड़ के लिए वित वर्ष 2021-22 के दौरान मनरेगा योजना के अन्तर्गत 16,63,824/- रुपये स्वीकृत हुए थे। ग्राम पंचायत अश्याडी के रिकॉर्ड के अनुसार उक्त निर्माणाधीन है तथा वर्तमान तक उक्त कार्य पर 3,01,903.4/ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। तकनीकी टीम द्वारा मुल्यांकन के दौरान उक्त कार्य शुरु करना न पाया गया, महज कुछ निर्माण सामग्री (पत्थर, बजरी आदि) मौका पर रखनी पाई गई है तथा मौका के साथ ही एक स्टोर में 40 बैग सीमेंट के रखने पाये गये हैं। जिस सीमेंट की किमत 14,720/- रुपये है। पंचायत रिकार्ड में उक्त कार्य पर खर्च राशि व तकनीकी टीम द्वारा मौका पर पाये गयी निर्माण सामग्री की अनुमानित राशि में 2,87,183.4/- रुपये की भिन्नता है। इस प्रकार श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी ने उक्त कार्य में 2,87,183.4/- रुपये की राशि का गवन किया है। (7) जांच के दौरान 14 वें वितायोंग के अन्तर्गत करवाये गये विकास कार्य में भी अनियमितताओं का आरोप साबित न हुआ है। इसके अतिरिक्त दूसरे शिकायत पत्र में उल्लिखित मजदूरों की दो जगह हाजरियां लगाने सम्वन्धी आरोप के बारे में पाया गया कि निर्माण कार्य चारदिवारी GSSS टिम्बी के कार्य के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 065 दिनांक 01.04.2022 पर श्री विजय चौहान पुत्र श्री धनवीर सिंह को दिनांक 01.04.2022 से 25.04.2022 व रमेश चन्द पुत्र श्री रघुवीर सिंह की दिनांक 01.04.2022 से 30.04.2022 तक बतौर मजदूर हाजरियां लगाई गई हैं जबकि निर्माण कार्य मोक्षधाम टिम्बी के लिये जारी मस्ट्रोल संख्या 132 दिनांक 13.04.2023 पर श्री विजय चौहान पुत्र श्री धनवीर सिंह व रमेश चन्द पुत्र श्री रघुवीर सिंह की दिनांक 16.04.2022 से 30.04.2022 तक बतौर मजदूर हाजरियां लगाई गई हैं। इस प्रकार श्री विजय चौहान व श्री रमेश चन्द को दो भिन्न कार्यो में एक ही समय में मस्ट्रोलों पर मजदूर दर्शाया गया है। इस प्रकार श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी ने रमेश चन्द व विजय चौहान के साथ मिलीभगत करके मस्ट्रोल पर झूठी हाजरियां लगाकर सरकारी धनराशि का गवन किया गया। अतः शिकायत पत्र की जांच के दौरान पाया गया कि श्री अनिल चौहान जनवरी 2021 में ग्राम पंचायत अश्याडी में प्रधान के पद पर निर्वाचित हुआ है तथा उक्त पंचायत के विकास कार्यो में तकनीकी सहयोग देने का कार्यभार श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी शिलाई के पास है। निर्माण कार्य मोक्ष धाम टिम्बी, निर्माण कार्य कूहल नेडा खड्ड से क्यार, निर्माण कार्य भू-संरक्षण कार्य चिखड़ Suitan, निर्माण कार्य एम्बुलैंस रोड़ टिम्बी से नलेंडी व निर्माण कार्य भू-संरक्षण कार्य आम रास्ता उपरला दुबोड़ का कार्य ग्राम पंचायत अश्याडी द्वारा श्री अनिल चौहान प्रधान की देखरेख व संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन करवाये जा रहे हैं। उक्त पांचो कार्य अभी निर्माणाधीन है तथा उक्त कार्यो के लिये मनरेगा योजना के अन्तर्गत 1,01,56,186/- रुपये स्वीकृत हुये हैं। उक्त स्वीकृत राशि में से ग्राम पंचायत द्वारा मुताबिक रिकॉर्ड 69,98,272.66/- रुपये की राशि उपरोक्त निर्माण कार्यो पर खर्च की जा चुकी है। उक्त कार्यो का मुल्यांकन जांच के दौरान हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की तकनीकी टीम द्वारा करवाया गया तथा तकनीकी टीम द्वारा उक्त कार्यो पर खर्च की गई कुल राशि 30,17,652/ रुपये आंकलित की है। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त पांचो कार्यो पर खर्च की गई राशि व तकनीकी टीम द्वारा

मुल्यांकन के दौरान आंकलित की गई राशि में 39,80,620.66/- रुपये की भिन्नता है। SFSL जुन्गा से निर्माण कार्य मोक्ष धाम टिम्बी में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के एक नमूना व निर्माण कार्य भू-संरक्षण कार्य चिखड़ Suitan में प्रयुक्त निर्माण सामग्री के दोनों नमूना जातों के प्राप्त परिणाम के अनुसार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री के अनुपात में भिन्नता पाई गई है। निर्माण कार्य मोक्ष धाम टिम्बी के निर्माण सामग्री के अन्य दो नमूनाजातों व निर्माण कार्य कूहल नेडा खड्डु से क्यार के निर्माण सामग्री के दो नमूना जातों का नतीजा अभी SFSL जुन्गा से प्राप्त न हुआ है। उक्त सभी कार्य श्री अनिल चौहान प्रधान की देखरेख व श्री संदीप वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता के तकनीकी पर्यवेक्षण के अधीन करवाये जा रहे हैं। उक्त कार्यों की प्रगति व निर्माण सामग्री के अनुपात के बारे में श्री संदीप वर्मा द्वारा ही मुल्यांकन पुस्तिका पर इन्द्राज किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान मस्ट्रोल पर श्री विजय चौहान व श्री रमेश चन्द की झूठी हाजरियां लगाने का आरोप भी प्रथम दृष्ट्या साबित होना पाया गया है । अतः शिकायत पत्र की जांच के दौरान पाया गया कि श्री अनिल चौहान प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी ने श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी शिलाई के साथ मिलीभगत करके निर्माण कार्य मोक्ष धाम टिम्बी, निर्माण कार्य कूहल नेड़ा खडड से क्यार, निर्माण कार्य भू-संरक्षण कार्य चिखड़ Suitan, निर्माण कार्य एम्बुलैंस रोड टिम्बी से नलेंडी व निर्माण कार्य भू-संरक्षण कार्य आम रास्ता उपरला दुबोड़ में 39,80,620.66/- रुपये की राशि का गबन किया है । इसके अतिरिक्त श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी ने श्री रमेश चन्द व श्री विजय चौहान के साथ मिलीभगत करके दो अलग-2 कार्यो में एक ही समय में दोनों को बतौर मजदूर हाजरियां लगाकर सरकारी कोष को अनुचित हानि कारित की है। जांच के दौरान श्री अनिल चौहान, प्रधान ग्राम पंचायत अश्याडी, श्री संदीप वर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी शिलाई व स्थानीय व्यक्तियों श्री रमेश चन्द व श्री विजय चौहान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के लिये प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हो चुके हैं। शिकायत पत्र में उल्लिखित अन्य आरोपों की जांच अभियोग के अन्वेषण के दौरान की जाएगी। अतः जांच के आधार पर श्री अनिल चौहान ग्राम पंचायत अश्याडी, श्री संदीप वर्मा कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी शिलाई, श्री रमेश चन्द व श्री विजय चौहान के विरुद्ध अभियोग जेर धारा- 420, 467, 468, 471,120-B भा.द.सं. व 5,6 HPPSCP Act 1983 घटित होना पाया जा रहा है। कार्यवाही अज थानाः- शिकायत पत्र उपरोक्त से मामला अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471,120-B भा.द. सं. व 5,6 HPPSCP Act 1983 का घटित होना पाया गया। जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की जरूरी प्रतियां तैयार की जा रही हैं। जो अवलोकनार्थ उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जा रही हैं। FIR को ही Special Report समझा जाए। FIR की प्रति इसी समय बदस्त HASI रविन्द्र सिंह के सूचनार्थ माननीय न्यायालय की सेवा में भेजी जा रही है तथा मिसल मुकदमा तैयार करके आगामी अन्वेषण हेतू निरीक्षक अश्वनी कुमार के हवाले की जा रही है।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का नाम): Ashwani Kumar **Rank (पद):** INSP. (Inspector)

No(सं.): **to take up the Investigation (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or**

(3) Refused investigation due to(जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

Transferred to P.S.(थाना): **District(ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित)

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम): Tarnjeet Singh
Rank (पद): Addl. SP (Additional Superintendant of
No(सं.): NA

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
2	Male					
3	Male					
4	Male					

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)